न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2019/1300 दिनांक – 18/06/19

प्रार्थी बनाम अप्रार्थीगण

1 डूंगराराम पुत्र निम्बाराम जाति जाट निवासी हरखाणी गोदारों की ढाणी, कवास तहसील व जिला बाडमेर।

1 डूंगराराम 2 ठाकराराम 3 जगमालराम 4 कुम्भाराम 5 जयराम पिसराम गोमदाराम 6 वीरोंदेवी पत्नी गोमदाराम जाति जाट निवासी काऊ का खेड़ा 7 विशनाराम पुत्र उदाराम 8 चेनाराम पुत्र ताजाराम 9 खरथाराम 10 रामाराम पिसरान निम्बाराम 11 नवलाराम पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी हरखाणी गोदारों की ढाणी, कवास तहसील व जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 168/2019 दिनांक– 14/06/19

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा हरखाणी गोदारों की ढाणी पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 789/145 रकबा 16.00 बीघा व खसरा संख्या 781/145 रकबा 07.18 बीघा कुल रकबा 23.18 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2019/ 1301-04 दिनांक–18/06/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कवास तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. डूंगराराम पुत्र निम्बाराम जाति जाट निवासी हरखाणी गोदारों की ढाणी, कवास तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी डूंगराराम पुत्र गोमदाराम वगैराह जाति जाट निवासी काऊ का खेड़ा तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर